International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232, Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2016; Page No. 21-22

समसामयिक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक स्त्री की परिकल्पना

रेनू आनन्द

नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय

प्रस्तावना

मानव विकास सूचकांक 2014 के अनुसार भारत वर्ष संयुक्तराष्ट्र देशों में महिला सशक्तिकरण की सूची में 135वें स्थान पर है। वर्तमान समय में 80 प्रतिशत् महिलाएं गर्भावस्था में समुचित ढंग से संतुलित आहार एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं। साक्षरता दर में जहां पुरूषों का स्तर 75 प्रतिशत् तक है वहीं महिलाएं 54 प्रतिशत् ही शिक्षित हैं। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से महिला आरक्षण की बात करती है परन्तु ये आज पुरूष मानसिकता के कारण लंबित है। इस तरह के बहुत सारे स्तर पर देखा जा सकता है कि महिलाओं को बार–बार असमान्य परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ता है, उसके बजाय ठोस कार्य का ढिंढोरा पीटा जाता है ऐसा कब तक होगा ये कहना मुश्किल है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर कभी कानून बनाया जाता है कभी असमानता दूर करने के लिए राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं फिर भी भारत की स्थिति महिला सशक्तिकरण में अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है। डॉ सुनंदा बनर्जी ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि ''स्त्री मुक्ती का मूल प्रश्न महिला सशक्तिकरण से बहुत गहराई से जुडा हुआ है। हर समाज में यदि औरते दोयम दर्जे की जिंदगी जीती रही है और उन्हे बंधनो में रहना पडा है तो सिर्फ इसलिए कि सारे परिद ृष्य पर पुरुष हावी रहे हैं।''[1] सन् 2007 में दक्षेस (SAARC) संघठन में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सूक्ष्म वित्तीय नीतियों पर चर्चा की गई जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से पुरूषों के साथ खड़ा किया जा सके परंतु इसका परिणाम अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह के तमाम प्रश्न महिला सशक्तिकरण पर उठते रहते हैं। महिलाओं के समावेशी विकास हेतु महिलाओं के साथ–साथ पुरूषों की भागीदारी भी अनिवार्य है।

1. महिला सशक्तिकरण पर कुछ केन्द्र बिन्दुओं पर यदि संयुक्त एवं ठोस रूप से कार्य किया जाए तो महिला सशक्तिकरण की राह आसान हो सकती है।

महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक उपाय

महिला सशक्तिकरण हेतु कुछ नीतिगत एवं उपयुक्त उपायों की चर्चा निम्नवत है–

(1) महिलाओं के प्रतिसम्मान

महिला हिन्दु हो या मुसलमान या किसी अन्य धर्म या जाति की हो उसको हमेशा ही पुरूषों से कम सम्मान दिया जाता है। लड़की को बचपन से ही थोड़ा (कम) बोलना, प्रतिवाद – विवाद न करने, खामोश रहने के लिए सिखाया जाता है। बराबर बोलना वाद – विवाद करना उसके लिए सख्त माना गया है? ऐसा क्यों?बचपन से उसे कम बोलना इसलिए सिखया जाता है ताकि वह बड़ी होकर समर्पणशील आज्ञाकारिणी बन सके। वह पुरुष के सामने या अन्य परिवारी जन के सम्मुख गूँगी बनी रहे। तस्लीमा नसरीन का कहना है कि–''स्त्री को डरना एंव लज्जालु होना पुरुष प्रधान समाज ने सिखाया है क्योंकि भयभीत एंव लज्जालु रहने पर पुरुषों को उस पर अधिकार जताने में सुविधा होती है। इसलिए डर और लज्जा को स्त्री कहा जाता है। समाज में कुछ ही लोग होंगे जो र्निभीक और लज्जाहीन स्त्री को बुरा नहीं कहते हों।''[2] इस स्थिति से उभरने के लिए हमें बचपन में ही बच्चों के अन्दर मां, बाप, अध्यापकों एव अन्य लोगों द्वारा महिलाओं के प्रति उचित आदर देने की प्रेरणा देनी चाहिए।

(2) जीवन जीने एवं रहन–सहन की स्वतंत्रता

महिलाओं का जीवन पुरूषों के आधार पर नियंत्रित होता है। कभी वो पत्नी के रूप में पति द्वारा, बेटी के रूप में पिता द्वारा, मां के रूप में पुत्र द्वारा और अगर ये पुरूष न हो तो रिश्तेदारों एवं समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कभी कुछ दिनों पहले ऐसी अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं। जिसमें पुरूष एवं पुरूष समाज महिलाओं के कपड़ों, उनके कार्य करने पर, उनके द्वारा आवाज उठाने पर, अपनी नाराज़गी एवं नियंत्रण ज़ाहिर कर चुका है। जीवन जीने की स्वतंत्रता अभी तक नहीं मिल पाई है जिस के हेतु हमें संचार माध्यमों द्वारा लोगों को जागरूक करने की आवाश्यकता है कि जैसे पुरूष अपनी इच्छा अनुसार जी सकता है वैस ही महिलाएं भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं।

(3) निर्णय लेने का अधिकार

पढ़ी लिखी महिलाएं कुछ हद तक अपने निर्णय ले लेती हैं लेकिन कम पढ़ी लिखी महिलाएं आज भी कोइ पुरूषों से बिना पूंछे नहीं ले पाती हैं। कुछ काम–काजी स्त्रियां भी निर्णय हेतु पुरूषों पर आश्रित होती हैं। चाहे टी0वी0 खरीदना हो, खाना बनाना हो, या बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना है या कपड़े किस तरह के पहनने हैं ये सोच बदलने की ज़रूरत है। प्रभखेतान के अनुसार ''पितृसत्ता अपने आप को मजबूत करने के लिए पहले धर्म का सहारा लेती थी, आज विज्ञान का सहारा लेती है।''[3] प्रभा खेतान ने कहा था कि एक आर्थिक सशक्त स्त्री को समाज एक अशक्त स्त्री की तुलना में जल्दी अपना लेता है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वो आर्थिक रूप से सशक्त बनने का प्रयास करें ताकि निर्णय लेने हेतु वे सक्षम हो सकें।

(4) समान अधिकार

हमारे संविधान में स्त्री व पुरूष को बराबर का अधिकार है। परंतु क्या ये सच है? शायद नहीं। संविधान तो अधिकार देता है। यह समाज नहीं। जब पुत्री को पिता के संपत्ति में अधिकार लेना होता है तो उसे कानून का सहारा लेना पड़ता है। वहीं पुत्र को स्वतः संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ये अवधारणा सामाजिक स्तर पर बदलने की ज़रूरत है। इसके हेतु एक बही दूसरी स्त्री की मदद कर सकती है। एक मां को अपनी पुत्री को उतने ही अधिकार देने चाहिए जितना पुत्र को तभी इस परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

(5) उच्च शिक्षा

50 प्रतिशत् से ज़्यादा लड़कियां माध्यमिक स्तर पर ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। वही उच्च शिक्षा में 10 से 15 प्रतिशत् लड़कियां ही प्रयास करती हैं। शिक्षा ही सफलता का मूल–मंत्र होता है। इस हेतु परिवार के साथ–साथ सरकार को चाहिए कि लड़कियों को शिक्षा हेतु प्रेरित करे और प्रयास करे कि लड़कियों हेतु उच्च शिक्षा निःशुल्क हो।

(6) महिला आरक्षण

सरकारी एव ंगैर–सरकारी संस्थाओं में स्त्रियों के कार्य करने का प्रतिशत् बहुत कम है। इस हेतु सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण ही एक माध्यम है जिसके द्वारा महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है।

निष्कर्ष – महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आधार पर किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि महिलाएं जब अपनी पसंद से कार्यों को करने लगें तो वही महिला सशक्तिकरण है। एक महिला जब अपने विचारों को लोगों के सम्मुख रख सके और उन विचारों पर लोगों द्वारा विचार हो वही महिला सशक्तिकरण है। इस हेतु हमें समग्र स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। मृणाल पाण्डे के अनुसार '' स्त्री के अस्तित्व को इसके पुरुष से जुडे संबंधो तक ही सीमित करके न देखा जाय बल्कि पुरुष की ही तरह उसे भी मानवता का एक भिन्न तथा अनिर्वाय और पुरक तत्व माना जाए।''[4] कोफी अन्नान जो कि संयुक्तराष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं ने कहा ''महिला सशक्तिकरण से बड़ा प्रभावी विकास का और कोई तरीका नहीं हो सकता है।'' स्त्री पुरूष के बीच विभेद का मुख्य कारण सामाजिक कुरीतियां हैं और इन कुरीतियों को महिलाएं ही ज़्यादा आश्रय देती हैं लेकिन इस में स्त्रियों का भी दोष नहीं है क्योंकि अशिक्षा, अज्ञानता, आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भरता ऐसी कुरीतियों हेतु प्रेरित करता है। हमें मिलकर इन चीज़ों के ख़िलाफ लड़ने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ सुनंदा बनर्जी ,आधी जमीन ,विशेषांकःअक्टूबर –दिसम्बर 2001,औरतो का सशक्तिकरण क्यो? पृष्ठ–22
2. तस्लीमा नसरीन, औरतः उत्तरकथा पृष्ठ–153
3. प्रभखेतान, औरतः उत्तरकथा, पृष्ठ–144
4. मृणाल पाण्डे, स्त्री देह की राजनिती से देश की राजनिती तक, पृष्ठ–21